

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
सितम्बर,2022 सत्र में दिये गये आश्वासन
(सितम्बर,2022 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 16/09/2022 के आश्वासन)

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक: 16/09/2022

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
178	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.1235) दि. 16-09-2022 (श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा)	विधान सभा क्षेत्र जौरा अन्तर्गत कैलारस में शासकीय महाविद्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण किया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		
179	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्रं.1329) दि. 16-09-2022 (श्री नारायण त्रिपाठी)	विधान सभा मैहर क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालय, नादन में नवीन भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाना।	महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
180	अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.1141) दि. 16-09-2022 (डॉ. सतीश सिकरवार)	मध्यप्रदेश के महाविद्यालय विहीन विकासखण्डों के मुख्यालयों स्तर पर महाविद्यालयों की शाखा का संचालन प्रारंभ किया जाना।	महाविद्यालयों की शाखा संचालन संबंधी प्रस्ताव परीक्षाधीन है।		
181	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.1233) दि. 16-09-2022 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	विधान सभा क्षेत्र जावरा क्षेत्रान्तर्गत पिपलोदा में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कराया जाना।	राशि स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
सितम्बर,2022 सत्र में दिये गये आश्वासन
(सितम्बर,2022 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 16/09/2022 के आश्वासन)

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 16/09/2022

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
182	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.344) दि. 16-09-2022 (श्री कुँवरजी कोठार)	विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत हितग्राहियों से सांठगांठ कर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाले दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।		
183	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.62 (प्रश्न क्रं.1056) दि. 16-09-2022 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	विधान सभा क्षेत्र लांजी में आर.डी.एस.एस योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराया जाना।	स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
184	अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.529) दि. 16-09-2022 (श्री उमंग सिंघार)	विधान सभा क्षेत्र गंधवानी अन्तर्गत अखाड़ा में आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराया जाना।	क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
185	अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.1209) दि. 16-09-2022 (श्री उमाकांत शर्मा)	विदिशा जिले में सुपरविजन चार्ज योजना अन्तर्गत प्राक्कलन के प्रावधान अनुसार एवं मानक स्तर के अनुरूप कार्य न करने वाले दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
186	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.1216) दि. 16-09-2022 (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव)	विधान सभा क्षेत्र कसरावद में किसानों द्वारा लाइनमेन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाना।	समीक्षा/जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
187	अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.1246) दि. 16-09-2022 (श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)	विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	शेष 12 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य वर्ष 2022-23 में पूर्ण कर लिया जायेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
188	अतारांकित प्रश्न सं.136 (प्रश्न क्रं.1307) दि. 16-09-2022 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	विधान सभा क्षेत्र महिदपुर अन्तर्गत आर.डी.एस.एस. योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराया जाना।	योजना में सम्मिलित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
सितम्बर,2022 सत्र में दिये गये आश्वासन
(सितम्बर,2022 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 16/09/2022 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 16/09/2022

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
189	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.43) दि. 16-09-2022 (श्री मेवाराम जाटव)	विधान सभा क्षेत्र गोहद की नगर पालिका परिषद में नियम विरुद्ध रखे गये श्रमिकों की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना	दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		
190	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.826) दि. 16-09-2022 (श्री राकेश मावई)	विधान सभा क्षेत्र मुरैना अन्तर्गत सड़क पर जल भराव का निदान एवं ए.बी. रोड पर सदर बाजार चौराहे तक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण कराया जाना।	दोनों निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिये जावेंगे।		
191	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.1230) दि. 16-09-2022 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	विधान सभा क्षेत्र जावरा अन्तर्गत नगर परिषद पिपलोदा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाना।	शिकायतों की जांच विभागीय स्तर पर प्रचलित है।		
192	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.50) दि. 16-09-2022 (श्री पाँचीलाल मेडा)	(1) भोपाल शहर के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा तत्कालीन नगर पालिका परिषद कोलार द्वारा नियम विरुद्ध जारी की गई भवन अनुज्ञा को रद्द/पुनरीक्षित किया जाना। (2) दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) गुण-दोष के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
193	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.426) दि. 16-09-2022 (श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी)	दमोह जिला अंतर्गत नगर परिषद तेंदूखेड़ा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेखापाल, कैशियर, सहायक वर्ग-2, सहायक वर्ग-3, पंप अटेंडेंट, सफाई दरोगा के रिक्त पदों में पूर्ति किये जाने संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	पदों को भर्ती करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
194	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.586) दि. 16-09-2022 (श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू)	नीमच जिले के अन्तर्गत मनासा विधान सभा क्षेत्र के रामपुर नगर के बादीपुरा चौराहे पर देवी अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति लगाने हेतु शासन से अनुमति के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	अप्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।		
195	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.1024) दि. 16-09-2022 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिला अंतर्गत निगम के पास इन अवैध कॉलोनियों को वैध कर निगम में हस्तांतरित किये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही आरंभ की जा रही है।		
196	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.104 (प्रश्न क्रं.1240) दि. 16-09-2022 (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी)	खरगोन जिला अंतर्गत नगर पंचायत भीकनगांव में अवैध कॉलोनियों में किये गये कार्यों की राशि वसूली एवं दोषियों के विरुद्ध जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	गुण-दोष के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।		
197	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.1244) दि. 16-09-2022 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	नीमच जिला अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के परिणाम स्वरूप समस्या के निदान हेतु नियमों के संशोधन हेतु प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		
198	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.1250) दि. 16-09-2022 (श्री जालम सिंह पटैल)	नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर, करेली, एवं गोटेगांव नगरपालिका में हितग्राहियों को आवासीय पट्टे दिये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	पट्टे दिये जाने के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है।		
199	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.1320) दि. 16-09-2022 (श्री सुनील सराफ)	अनूपपुर जिला अंतर्गत नगर परिषद कोतमा में मेसर्स सिटी इंटरप्राइजेस कोतमा द्वारा बिना किसी आदेश के डामरीकरण किये जाने की प्राप्त शिकायतों में दोषियों के विरुद्ध जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग द्वारा की जा रही है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
200	अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.559) दि. 16-09-2022 (श्री देवेन्द्र सिंह पटेल)	विधान सभा क्षेत्र उदयपुर अन्तर्गत नगर परिषद बिरेली में नर्मदा जल प्रदाय करने हेतु विद्युत लाइन का कार्य पूर्ण किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
201	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.574) दि. 16-09-2022 (श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा))	तलैनी, सारंगपुर, राजगढ़ के संबंध में अभ्यावेदन के अनुसार जांच करवाने तथा टी.एण्ड.सी.पी. के स्वीकृत नक्शे के अनुसार सीमांकन करने तथा तलैनी की सड़क से अतिक्रमण हटाने, कॉलोनी के बंद पड़े मार्ग को खोले जाने के संबंध में निष्पक्ष जांच कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	जांच रिपोर्ट अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।		
202	अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.937) दि. 16-09-2022 (श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव)	विदिश जिला अंतर्गत नगरीय निकायवार अवैध कॉलोनियों को वैध किये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर द्वारा आरंभ की जायेगी।		
203	अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.945) दि. 16-09-2022 (श्री राजेश कुमार प्रजापति)	छतरपुर जिला अंतर्गत नगर परिषद चंदला विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	वरीयता के आधार पर आवासों का आवंटन किया जायेगा।		
204	अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.1102) दि. 16-09-2022 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिला अंतर्गत नागदा जंक्शन में वारको सिटी कॉलोनी में बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण की प्राप्त शिकायतों में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	उपबंधों के तहत कार्यवाही की जायेगी।		
205	अतारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्रं.1308) दि. 16-09-2022 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	नादरा जंक्शन, जिला उज्जैन स्थित वारको सिटी (पूर्व में महवीर नगर) संबंधी प्रश्न क्रं. 1992 दिनांक 11-03-2022 द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए 51 आरक्षित भूखंड के निराकरण के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी।		
206	अतारांकित प्रश्न सं.143 (प्रश्न क्रं.1322) दि. 16-09-2022 (श्री सुनील सराफ)	अनूपपुर जिला अंतर्गत नगर पालिका कोतमा में तालब से निकली हुई मिट्टी को ठेकेदार के भूखण्ड में डालकर दोहरा भुगतान किये जाने की प्राप्त शिकायतों में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	इस संबंध में अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग से जांच कराई जा रही है।		
207	अतारांकित प्रश्न सं.144 (प्रश्न क्रं.1323) दि. 16-09-2022 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिला अन्तर्गत बैरसिया नगर पालिका अवैध कॉलोनियों के विकासकताओं कॉलोनाईजरो के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही निकाय स्तर पर प्रचलित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
208	अतारांकित प्रश्न सं.145 (प्रश्न क्रं.1324) दि. 16-09-2022 (श्री पाँचीलाल मेड़ा)	भोपाल नगरीय क्षेत्र की सीमा एवं नगर की जनसंख्या के अनुपात में एनीमल बर्थ सेन्टर खोले जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	चार एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर निर्माणाधीन हैं, जो आगामी दो-तीन माह में कार्य करने लगेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
सितम्बर,2022 सत्र में दिये गये आश्वासन
(सितम्बर,2022 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 16/09/2022 के आश्वासन)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 16/09/2022

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
209	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्र.1265) दि. 16-09-2022 (श्री प्रियव्रत सिंह)	राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर शहरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण किया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		
210	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्र.940) दि. 16-09-2022 (श्री वीरेन्द्र रघुवंशी)	कोलारस विधान सभा क्षेत्र के बदरवास विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम रामपुरी से बमौरी पहुंच मार्ग हेतु कूनो नदी पर पुल बनाया जाना।	स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
211	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्र.1290) दि. 16-09-2022 (श्री जयसिंह मरावी)	रीवा संभाग अंतर्गत शहडोल जिले के श्यामडीह-कनवाही मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।		
212	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.122 (प्रश्न क्र.1305) दि. 16-09-2022 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर विधानसभा क्षेत्र संबंधी प्रश्न क्र. 3741 दिनांक 21-03-2022 के अनुसार खेड़ा खजूरिया से मकता फंटा मार्ग पूर्ण नहीं होने से विलंब के दोषी निर्माणकर्ता फर्म के विरुद्ध जांच निष्कर्ष के आधार पर पर शीघ्र कार्यवाही की जाना।	दोषी निर्माणकर्ता पर कार्यवाही का निर्णय अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप गुण-दोष के आधार पर लिया जावेगा।		
213	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्र.1315) दि. 16-09-2022 (श्री अजब सिंह कुशवाह)	मुरैना जिला अंतर्गत सुमावली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग स्वीकृत शेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	विलंब के लिए अनुबंधानुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
214	अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्र.1232) दि. 16-09-2022 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रिंग रोड कार्य में निजी भूमियों का मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	पुनः मार्ग निर्माण की कार्यवाही किया जाना।		
215	अतारांकित प्रश्न सं.124 (प्रश्न क्र.1266) दि. 16-09-2022 (श्री प्रियव्रत सिंह)	राजगढ़ जिले अंतर्गत जीरापुर तहसील अंतर्गत सेतु निगम से स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की प्राप्त शिकायतों में दोषियों के विरुद्ध जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	एजेंसी के विरुद्ध अनुबंधानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी।		